

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी

क्रमांक: 660 / एम0एम0

दिनांक : 16/09/26

सचिव आदेश दिनांक 07.09.2026

विषय:- Sheoran Trading Company को बोर्ड कार्यालय से सम्बन्धित सभी प्रकार के कार्यों से प्रतिबंधित (Blacklist) करने बारे।

विषयांकित के सन्दर्भ में सूचनार्थ लिखा जाता है कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी द्वारा कार्यालय में लगे विभिन्न कैमरों को दुरुस्त करने हेतु ऑनलाईन माध्यम से कोटेशन आमंत्रित करते हुए न्यूनतम रेट पाए जाने पर Sheoran Trading Company, V.P.O.- Shahlewala, Tehsil-Tosham, Bhiwani को कार्यादेश प्रदान किए गए थे।

लेकिन वर्णित कार्य करने के सम्बन्ध में बार-बार पत्र भेजने के बावजूद उक्त फर्म द्वारा समय पर कार्य आरंभ नहीं किया गया तथा ना ही कोई ठोस व प्रासंगिक कारण सहित संतोषजनक जवाब बोर्ड कार्यालय को भेजा गया। इस प्रकार सम्बन्धित फर्म द्वारा कोटेशन में दर्शाई गए नियम व शर्तों का उल्लंघन किया गया जिससे बोर्ड का कार्य बाधित हुआ एवं कार्यालय के अति-महत्वपूर्ण समय व ऊर्जा की भी व्यर्थता हुई।

अतः उक्त फर्म द्वारा बरती गई अनियमितता एवं लापरवाही के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी द्वारा सम्बन्धित फर्म को आगामी 25 वर्षों के लिए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी के सभी प्रकार के कार्यों से प्रतिबंधित (Blacklist) कर दिया गया है।


सहायक सचिव(एम0एम0)